मद संख्याः 2/129

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 128 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25–4–2012 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।

———————————————————————————————

| मद सं0 | विषय | निर्णय | अनुपालन |
|---|---|---|---|
| 1– | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 24–12–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि। | बोर्ड द्वारा दिनॉक 24–12–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई । | कार्यवाही वांछित नहीं है । |
| 2– | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 24–12–2011 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या। | बोर्ड द्वारा दिनॉक 24–12–2011 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्न निर्देश दिये गये :–<br>1– शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने हेतु जिला प्रशासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से आवश्यक ओवर ब्रिज, आर0ओ0बी0 व अन्य आवश्यक विकास कार्यों के संबंध में सर्वे कराया जाये।<br>2– गाजियाबाद विकास क्षेत्र में निर्मित इंजीनियरिंग /डेन्टल कालेजों हेतु जिन कालेजों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, उनके संबंध में यथा आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर कर ली जाये ।<br>3– शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की विकसित कुछ योजनाओं में भूमि के सम्परीक्षण हेतु जी0आई0एस0 तकनीक के साथ–साथ सैटेलाईट इमेजरी पर रेवेन्यू प्लान तथा ले आऊट प्लान को सुपरइम्पोज करने का कार्य किया जा चुका है । निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की विकसित अन्य योजनाओं में भी इस हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कर ली जाये । | कार्यवाही की जा रही है।<br>क्षेत्र के सभी अनाधिकृत रूप से निर्मित संस्थानों के अपराध के शमन आवेदन पर भू–उपयोग परिवर्तन की प्रकिया शासन/प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है। अनुस्मारक प्रेषित किये गये है।<br>गाजियाबाद क्षेत्र के अन्य भाग में सेटेलाईट ई–मेल पर रेवन्यू प्लान तथा ले–आउट से सम्बन्धित कार्य हेतु ई0ओ0आई0 आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। |
| 3– | शासनादेश संख्या 1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना । | बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा निम्न निर्देश दिये गये :–<br>1– प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित किये जाने के प्रयासों में यह यह निर्देश दिये गये कि जिन भवनों का आरक्षण ड्रा हो चुका है, उनका शीघ्र नम्बर ड्रा करके आवंटियों को आवंटन करने की कार्यवाही की जाये जिससे कि एग्रीमेंट/लीज डीड निष्पादित करने पर आय में बढोत्तरी हो सके ।<br>2– अनिस्तारित अन्य सम्पत्तियों यथा– व्यवसायिक, अतिक्रमण से अवमुक्त भूमि व विभिन्न योजनाओं में सम्परीक्षण उपरान्त रिक्त सम्पत्ति आदि का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये।<br>3– यह भी सर्वे करा लिया जाये कि भू–अधिग्रहण के उपरान्त कितनी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव/ मुआवजा जिला प्रशासन को भेजा गया था एवं उसके | विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।<br>सम्पत्तियों के नम्बर विशेष का ड्रा हो चुका है।<br>व्यवसायिक रिक्त सम्पत्तियों का चिन्हिकरण कर लिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में टू–बिड सिस्टम को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है उसके बाद विज्ञापन कराकर नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।<br>भू–अधिग्रहण हेतु 665.010 हेक्टेयर के अर्जन प्रस्ताव जिलाधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित किये गये हैं। अपर जिलाधिकारी–भू–अर्जन गाजियाबाद द्वारा उक्त अर्जन प्रस्ताव हेतु 10 प्रतिशत अर्जन व्यय एवं 10 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | विपरीत कितनी भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ।<br><br>4– लैण्ड बैंक बढाने हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाये ।<br>5– विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु नगर निगम एवं प्राधिकरण अपने अपने क्षेत्रों में उप केन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हुए विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रयास करें ।<br><br>6– लोनी सीवरेज परियोजना के औचित्य/ आवश्यकता के संबंध में पहले स्पष्ट किया जाये । तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जाना समीचीन होगा ।<br><br>7– अवस्थापना निधि के अन्तर्गत गतिमान कार्य योजनाओं की मौनिटरिंग मुख्य अभियन्ता, गा0वि0प्रा0 द्वारा सुनिश्चित की जाये एवं समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जायें । | भू–अर्जन प्रतिकर रू0 2,33,57,81,945/– की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा रू0 1,52,14,30,000/– की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है तथा 6.0436 हेक्टेयर भूमि की धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति शासन द्वारा दिनांक 20–12–2011 को जारी की जा चुकी है। उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं 22.123 हेक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में धारा–4/16 की विज्ञप्ति जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिनांक 24–5–2011 को जारी की जा चुकी है तथा धारा–6/16 हेतु अर्जन प्रस्ताव राजस्व परिषद, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है ।<br>अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।<br><br>प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना में 400 के0वी0 उप–केन्द्र हेतु 40000 वर्ग मी0 तथा मधुबन–बापूधाम योजना में 220 के0वी0 केन्द्र हेतु 40000 वर्ग मी0 भूमि यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित कर दी गयी है। कार्य प्रगति पर है।<br><br>यह योजना यमुना प्रदूषण ईकाई उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्रियान्वित की गयी है। स्वीकृत लाईन ट्रीटमैंट (एस0टी0पी0) डिस्पोजल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ कालोनी के लिये सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था प्रस्तावित है कार्य प्रगति पर है समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।<br>बोर्ड निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । |
| 4– | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2012–13 का आय–व्ययक | बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आय–व्ययक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2011–2012 का पुनरीक्षित रू0 136661.40 लाख की आय व रू0 113935.87 के व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2012–2013 की प्रस्तावित रू0 228251.70 लाख की आय व रू0 228076.00 लाख के व्यय का आय–व्ययक (बजट)स्वीकृत किया गया । | बोर्ड निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। |
| 5– | गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक / इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में। | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं में लाईसेंस की स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन व इस पर आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही, लैण्ड एसेम्बली, निर्माण एवं विकास की स्थिति व अन्य प्रगति अवलोकित की गई। | प्राधिकरण द्वारा प्रगति अवलोकित की गयी है। प्रगति विवरण के साथ प्रस्ताव मद सं0 16 पर प्रस्तुत है। |
| 6– | मोदीनगर महायोजना–2021 के अन्तर्गत चार जोन के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7– | गाजियाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत लोनी रोड (मोहननगर क्रासिंग से हिन्डन एयरफोर्स स्टेशन क्रासिंग तक ) की चौडाई 75 मीटर से 30 मी0 किये जाने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । | निर्णयानुसार पत्र सं0 29/नियोजन अनुभाग/2012 दिनांक 08.05.12 द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जा चुका हैं। |
| 8– | दिलशाद गार्डन से नये बस अडडे तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार हेतु वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा वित्तीय प्रबन्धन को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु स्वीकृत प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये जिससे कि शासन स्तर से अंशदान देने वाले विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो सके । | बोर्ड के निर्णयानुसार फन्डिग पैटर्न शासन को प्राधिकरण के पत्र सं0 102/4/पी0ए0 2012 दिनांक 28.04.12 द्वारा प्रेषित किया गया था। शासन स्तर पर दिनांक 04. 05.2012 को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में एवं में दिनांक 31.05.2012 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा चुकी है। शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। |
| 9– | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगायी गयी स्ट्रीट लाईन के अनुरक्षण हेतु आवश्यक 13 मीटर ऊंचाई के एलीवेटर एवं एक नई इनोवा कार खरीदे जाने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । | अनुपालन किया जा चुका है। |
| 10– | प्राधिकरण के केन्द्रीय भण्डार को समाप्त करने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व अनुबन्धों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो । | समाप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। स्टोर में पूर्व से उपलब्ध सामग्री को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में प्रयुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। |
| 11– | इन्दिरापुरम योजना में 400/220 के0वी0 विद्युत उप संस्थान एवं मधुबन बापूधाम योजना 220 के0वी0 विद्युत उप संस्थान के निर्माण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि यदि इस संबंध में कोई शासनादेश है तो उसका भी पालन सुनिश्चित किया जाये। चूँकि उप संस्थान के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्रीन बैल्ट की भूमि है, अतः आवंटित भूमि में केवल सब स्टेशन का ही निर्माण किया जायेगा। यदि विद्युत विभाग को स्टाफ आदि के लिए भवनों की आवश्यकता हो तो उसके लिए आवासीय उपयोगयार्थ अपने वित्तीय संसधानों से भवन क्रय कर सकते हैं । | इस सम्बन्ध में परीक्षण कराने के उपरान्त संज्ञान में आया कि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा कोई दिशा निर्देश अथवा शासन आदेश उपलब्ध नही है। आवास विभाग द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी नही किया गया है। निति निर्धारण हेतु पूर्व में भी शासन को संदर्भित किया गया है। अब पुनः इस सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा जाना प्रस्तावित है। जिसके उपरान्त इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना उचित होगा। |
| 12– | एन0एच0–24 ग्रेटर नोएडा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बाधित भाग से आबादी का पुर्नस्थापना । | विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । | अनुपालन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से 04 एकड भूमि प्राप्त हो गयी है, जिसका ले–आउट तैयार कर विकास कार्य कराये जा रहे हैं। |